न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–42/2018(जीसीएमएस नम्बर 2018/00045)

1. बुन्दु खां पुत्र कजोड़ खॉ, जाति मुसलमान, निवासी जगनेर तर्कान हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

––अपीलान्ट

बनाम

1. जमाल खॉ पुत्र भौंरी खा ँ(फौत दौराने अपील)
   - 1/1. बरकत बैगम पत्नी स्व. जमाल खां,
   - 1/2. फकीर मोहम्मद खां पुत्र स्व. जमाल खां,
   - 1/3. सिकन्दर खां पुत्र स्व. जमाल खां,
   - 1/4. तोफीक खां पुत्र स्व. जमाल खां,
2. नजीर खां पुत्र भौंरे खां (फौत दौराने अपील)
   - 2/1. रसीद खां पुत्र स्व. नजीर खां,
   - 2/2. मेराज खां पुत्र स्व. नजीर खां
   - 2/3. सियाज खां पुत्र स्व. नजीर खां
   - 2/4. रहीस खां पुत्र स्व. नजीर खां,
   - 2/5. झब्बो खां पुत्र स्व. नजीर खां,
   - 2/6. अशिया बानो पुत्री स्व. नजीर खां,
   - 2/7. सकीला बाना पुत्री स्व. नजीर खां,
   - 2/8. न्यामत बाना पुत्री स्व. नजीर खां,
   - 2/9. सलमा बानो पुत्री स्व. नजीर खां,
3. बशीर खां पुत्र भौरें खां (दौराने अपील)
   - 3/1. तोफल बैगम पत्नि स्व.बशीर खा,
   - 3/2. मुसफ पुत्र स्व.बशीर खा,
   - 3/3. शकील पुत्र स्व.बशीर खा,
   - 3/4. वकील पुत्र स्व.बशीर खा,
   - 3/5. खलील पुत्र स्व. बशीर खां, समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासी जगनेर तुर्कान, हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलोक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 से 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 3/3 से 3/5 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 22.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 127 व 129 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है जिसमें अपीलार्थी उक्त भूमि के एक हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 1 दिनांक 19.10.2015 को अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना कोई साक्ष्य लिये बिना किसी हक अधिकार के अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये जिसमें व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील पेश की तथा भूमि विवादग्रस्त के समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखुबी रखा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 पारित किया है, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बशीर खां पिसरान भौंरे खां जो कि रेस्पेडेन्ट संख्या 3 थे उनकी मृत्यु दिनांक 21.02.2019 को हो गई थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नही किया जा सकता। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 127 व 129 वाके ग्राम जगनेर तुर्कान में विचारण न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलान्ट के रिकार्डेड हिस्से को विलोपित कर खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया जिसका अधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नही था। उक्त तथ्यों का अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु का बगैर अवलोकन किये ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आराजी का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार का नाम विलोपित या अन्य किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात शुद्ध करने से पूर्व विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस प्रेषित किये ही बगैर साक्ष्य सुनवाई के ही एकतरफा में आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतया अनदेखी करते हुये पारित किया गया है जिस तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन अदेश दिनांक 27.02.2018 पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि किसी भी खातेदार का नाम विलोपित करने का अधिकार क्षेत्र सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर या

उपखण्ड अधिकारी को ही प्राप्त है लेकिन विचारण न्यायालय तहसीलदार रामागढ पचवारा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार गलत तरीके से समाप्त कर दिये गये जो काबिले निरस्तनीय है किन्तु उक्त तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 व तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश शुद्धि पत्र दिनांक 19.10.2015 को निरस्त फरमावे जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि कजोड खॉ पुत्र घासी खॉ कौम मुसलमान साकिन जगनेर तुर्कान द्वारा बेचान करने पर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1985 द्वारा ग्राम जगनेर तुर्कान की जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में खसरा नम्बर 127 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 129 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से बशीर खॉ, जमाल खा, नजीर खॉ पुत्रान भोरे खॉ एवं बुन्दु खॉ पुत्र कजोड खॉ के नाम हिस्सा 3/8 दर्ज किया गया। इसके पश्चात् बुन्दु खॉ पुत्र कजोड खॉ ने खसरा नम्बर 127, 129 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि विक्रय पत्र दिनांक 18.11.1997 के द्वारा चुन्नीराम, श्योराम पि. किशना कौम मीना को विक्रय कर दिया गया था जो कि उसे कजोड़ खॉ से प्राप्त हुई थी किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 में लेखन में बुन्दु खॉ पुत्र कजोड खॉ का नाम लिपिकीय भूलवश दर्ज हो गया था तथा जमाबन्दी में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को कानूनन प्रदत्त है और इसमें अपीलान्ट के अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित भी नही होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण जगदीश मीना, मंगलराम पि. गैंदा मीना द्वारा भूमि विवादग्रस्त में अपने हिस्से 9/32 की भूमि को रहन रखने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2016 को प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस के दौरान यह तथ्य आ चुके थे कि अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र चुन्नीराम श्योराम पि. किशना कौम मीना को किया जा चुका है। शुद्धि पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि बुन्दु खॉ पुत्र कजोड खॉ का नाम विलोपित करते समय भी क्रेतागण चुन्नीराम, श्योराम पि. किशना कौम मीना का नाम संयोजित नही किया गया, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्रेतागण को प्रकरण में पक्षकारान संयोजित नही किया, तथा उक्त शुद्धि पत्र से क्रेताओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पडेगा जॉच नही की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत जॉच हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण भूमि विवादग्रस्त के क्रेतागण अथवा उनके विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किया जाकर एवं प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर प्रकरण में यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रेतागण अथवा उनके विधिक वारिसान का सजरा अनुसार हिस्सा मुताबिक विक्रय पत्र जमाबंदी में दर्ज कर लिया गया है अथवा नही के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।